XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.2187–एक/01 जिला–दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–7–14	इस प्रकरण में दिनांक 19–6–14 के बाद से आवेदक की ओर से कोई अभि.उप. नहीं हो रहा । अना. की ओर से श्री अनिल चौबे अभि. उप. प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
5-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, ~~केम्प सागर म.प्र.~~

1- लक्ष्मी प्रसाद वल्द रामसेवक ब्राम्हण,
2- विनोद कुमार वल्द श्री रामसेवक ब्राम्हण
दोनों निवासी- तेंदूखेड़ा तह0 तेंदूखेड़ा
जिला- दमोह म0प्र0 --- आवेदकगण

** विरूद्ध **

बैजनाथ वल्द श्री गणेश प्रसाद ब्राम्हण
साकिन- देवरी लीलाधर तहसील तेंदूखेड़ा
जिला- दमोह म0प्र0 --- अनावेदक

अपील प्र. क्र.

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भ. रा. सं. 1959,

आवेदकगण निम्न न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर के अपील प्र.क्र. 994/अ-6/ 96-97 में पारित आदेश दिनांक- 20-7-2001 से व्यथित होकर निम्न अपील प्रस्तुत करते है :-

।। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ।।

1- यह कि, ग्राम देवरी लीलाधर स्थित भूमि खसरा नंबर 56,72,73,77,174,175, 228, 326, एवं 264 कुल किता 9 कुल रकवा 5.75 हेक्टैयर का मालिक काबिज गणेश वल्द कल्लू ब्राम्हण था जिसकी मृत्यु वर्ष 1959 में हो गई । गणेश की मृत्यु उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों में उसकी पत्नि श्रीमति सीमाबाई, पुत्र बैजनाथ, द्वितीय पुत्री सियाबाई एवं तृतीय पुत्री भवानीबाई थी उक्त चार वैधानिक वारिसान होते हुये भी पुत्र बैजनाथ ने अवैधानिक रूप से पुत्री सियाबाई एवं भवानीबाई को को बगैर जानकारी दिये, चुपचाप अपने पिता गणेश की फौती के बाद अपना तथा अपनी मां सीमाबाई का नाम उक्त भूमियों पर दर्ज करा लिया जिसकी जानकारी पुत्रियों को नहीं होने दी, तत्पश्चात् वर्ष 1984 में सीमाबाई की भी मृत्यु हो गई,

....2..